



2026:AHC:22464
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट ए संख्या 18421 वर्ष 2025

प्रेम प्रकाश त्रिपाठी
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सीनियर एडवोकेट, त्रिपाठी भूल गया भाई
: सी.एस.सी.

न्यायालय सं.-33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. याचिकाकर्ता की ओर से श्री अशोक खरे, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री त्रिपाठी बी.जी. भाई कर रहे थे, और राज्य की ओर से श्री संजीव सिंह, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री रतन दीप मिश्रा कर रहे थे, की दलीलें सुनी गईं।

2. चूंकि पक्षों के बीच शपथपत्रों का आदान-प्रदान हो चुका है और वे आगे कोई शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं, इसलिए रिट याचिका पर नवीन स्तर पर ही निर्णय लिया जा रहा है।

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें ब्लॉक विकास अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्होंने 15.12.1997 को कार्यभार ग्रहण किया और उनकी सेवाएँ 04.12.1999 को स्थायी कर दी गईं। 24.10.2025 को एक विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया गया और याचिकाकर्ता के मामले में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति की सिफारिश की गई। 04.11.2025 को याचिकाकर्ता को आरोप पत्र जारी किया गया और 14.11.2025 को याचिकाकर्ता के खिलाफ सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया अपनाई गई।

3. इसी पर प्रश्न उठाते हुए याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर की।

4. इस न्यायालय ने दिनांक 08.12.2025 को रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किए:-

"1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे, उनके सहायक विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिपाठी बी.जी. भाई और राज्य- प्रत्यर्थीओं की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

2. आज दाखिल किए गए पूरक शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाए।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता जिला विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं और उनकी पदोन्नति लंबित थी। तदनुसार, 24.10.2025 को एक जिला विकास समिति (डीपीसी) का आयोजन किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता के नाम पर विचार किया गया और उन्हें मुख्य विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए अनुशंसित किया गया, लेकिन जब 14.11.2025 को पदोन्नति का आदेश पारित किया गया, तो उसमें याचिकाकर्ता का नाम नहीं था, बल्कि उनसे कनिष्ठ अधिकारियों के नाम थे। इस संबंध में पूछे जाने पर याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि 04.11.2025 के आदेश द्वारा एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था और 17.11.2025 को आरोप पत्र जारी किया गया था। इसी कारण याचिकाकर्ता को पदोन्नति का आदेश जारी नहीं किया गया और उनका नाम एक सीलबंद लिफाफे में रखा गया।

4. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया कि डीपीसी की तिथि पर न तो याचिकाकर्ता निलंबित था और न ही उसके विरुद्ध कोई जांच लंबित थी तथा आरोपपत्र केवल 17.11.2025 को जारी किया गया था, अतः अनुशासनात्मक कार्यवाही को आरोपपत्र की तामील की तिथि से प्रारंभ माना जाएगा। अतः, 24.10.2025 की डीपीसी की सिफारिश के आधार पर याचिकाकर्ता पदोन्नति आदेश जारी करने का पूर्णतः हकदार है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.वी. जानकीरामन : सिविल अपील संख्या 3018-21 ऑफ 1987, 3016 ऑफ 1988, 51-55 ऑफ 1990, 3093 ऑफ 1990, 4379 ऑफ 1990 और एस.एल.पी. (सी) संख्या 1094 ऑफ 1990,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2344 ऑफ 1990, 11680 ऑफ 1991, मामले में दिए गए निर्णयों का हवाला दिया है जिनका अनुसरण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा युनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम डॉ. (श्रीमती) सुधा सलहन, जे.टी. 1998 (1) एस.सी. 622 के मामले में किया गया। उन्होंने अंत में निवेदन किया कि प्रत्यर्थी अधिकारियों को सीलबंद लिफाफा खोलने और याचिकाकर्ता को मुख्य विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति आदेश जारी करने का निर्देश देने के लिए परमादेश रिट जारी की जाए।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने विरोध तो किया लेकिन याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक दलीलों का खंडन नहीं कर सके।

5. मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों के साथ-साथ ऊपर उद्धृत निर्णयों का भी परिशीलन किया है।

6. डॉ. (श्रीमती) सुधा (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद संख्या 5 और 6 नीचे उद्धृत किये गये हैं:-

5. अधिकरण ने यह तथ्य पाया है कि जिस तिथि को विभागीय पदोन्नति समिति ने याचिकाकर्ता के मामले का आकलन करने के लिए बैठक की थी, उस तिथि को न तो वह निलंबित थी और न ही उसे कोई आरोप पत्र जारी किया गया था। फलस्वरूप, अधिकरण ने अपने ही पूर्ण पीठ के निर्णय के साथ-साथ इस न्यायालय के न्यू बैंक ऑफ इंडिया बनाम एन.पी. सहगल और एक अन्य (जे.टी. 1991 (1) एससी 498) के निर्णय पर भरोसा करते हुए मूल आवेदन को स्वीकार कर लिया और उपरोक्त निर्देश जारी किए।

6. हालांकि, इस मामले का निस्तारण इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के एक निर्णय से हो चुका है, जो युनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम के.बी. जानकीरामन और अन्य, जे.टी. 1991 (3) एससी 527 में दिया गया है, जिसमें यही मत व्यक्त किया गया है। हम उपरोक्त निर्णय से पूरी तरह सहमत हैं। हमारा यह भी मत है कि यदि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उच्च पद पर पदोन्नति के लिए किसी व्यक्ति के नाम पर विचार किए जाने की तिथि पर वह व्यक्ति न तो निलंबित है और न ही उसके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है, तो यदि वह योग्य और उपयुक्त पाया जाता है, तो उसका नाम चयन सूची में शामिल किया जाना चाहिए और "सीलबंद लिफाफा" प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती। विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश को "सीलबंद लिफाफे" में तभी रखा जा सकता है जब पदोन्नति के लिए नाम पर विचार किए जाने की तिथि पर विभागीय कार्यवाही शुरू की गई हो या लंबित हो या उसके निष्कर्ष पर उचित प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित न किए गए हों। यह स्पष्ट है कि यदि वह अधिकारी, जिसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी, अंततः निर्दोष पाया जाता है, तो विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश वाले सीलबंद लिफाफे को खोला जाएगा और सिफारिश को लागू किया जाएगा।"

7. अतः, निर्विवाद तथ्यों और विधि के स्थापित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 1 को सीलबंद लिफाफा तुरंत खोलने और याचिकाकर्ता को मुख्य विकास अधिकारी के पद पर तत्काल पदोन्नति आदेश जारी करने का निर्देश देते हुए एक अंतरिम परमादेश जारी किया जाता है, अन्यथा वह प्रतिवाद पत्र दाखिल करके कारण बताए।

8. इस मामले को 19.01.2026 को नवीन रूप से प्रस्तुत करें।"

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 17.01.2026 को एक शपथपत्र दाखिल किया गया, जिसका याचिकाकर्ता ने जवाब दाखिल किया है। पूरक शपथपत्र पहले से ही अभिलेख में मौजूद है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि मुख्य विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के मामले को सीलबंद लिफाफे में नहीं रखा जा सकता था, विशेष रूप से तब जब विभागीय कार्यवाही समिति (डीपीसी) की बैठक की तारीख यानी 24.10.2025 को कोई विभागीय कार्यवाही लंबित या विचाराधीन नहीं थी। उनका कहना है कि आरोप पत्र 04.11.2025 को जारी किया गया था, यानी डीपीसी की बैठक की तारीख के बाद। इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के युनियन ऑफ इंडिया बनाम के.बी. जनकीरामन (1994) 4 एससीसी 109 के निर्णय के अनुसार, जिसका अनुसरण युनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम डॉ. (श्रीमती) सुधा सलहन, जे.टी. 1998(1) एससी 622 में किया गया है, याचिकाकर्ता को मुख्य विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी जानी चाहिए थी। उनका निवेदन है कि प्रासंगिक तारीख वह है जिस दिन विभागीय कार्यवाही समिति (डीपीसी) बुलाई गई थी, उस दिन कोई विभागीय कार्यवाही लंबित थी या विचाराधीन थी, और यदि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई प्रतिकूल बात नहीं थी और कोई विभागीय कार्यवाही लंबित या विचाराधीन नहीं थी, तो याचिकाकर्ता इस संबंध में लाभ प्राप्त करने का हकदार है। याचिकाकर्ता के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने रिट-ए संख्या 64669 वर्ष 2015, राकेश कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में एक ऐसे विंदु पर विचार किया था, जो यहाँ उठाए गए तर्क के समान है, और उक्त निर्णय में यह राय दी गई है कि पदोन्नति के लाभों से केवल इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि आरोप पत्र डीपीसी की बैठक की तारीख के बाद जारी किया गया है।

7. दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री संजीव सिंह ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक की तिथि, अर्थात् 24.10.2025 को याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई आरोप पत्र या विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं थी, परन्तु 04.11.2025 को आरोप पत्र जारी किया गया और उसके बाद 14.11.2025 को सीलबंद लिफाफा अपनाया गया। उन्होंने 28.05.1997 के साशनादेश के पैरा-11 में निहित प्रावधानों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि विभागीय पदोन्नति समिति के परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया जाए और साथ ही प्रत्यर्थियों को इस संबंध में कार्यवाही पूरी करने की स्वतंत्रता दी जाए।

8. मैंने पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई दलीलें सुनी हैं और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया है।

9. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह निर्विवाद है कि पदोन्नति प्रक्रिया ब्लॉक विकास अधिकारी के पद से मुख्य विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए थी और विभागीय समिति की बैठक 24.10.2025 को बुलाई गई थी। पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि 24.10.2025, यानी विभागीय समिति की बैठक की तारीख को, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही या आरोप पत्र लंबित नहीं था। आरोप पत्र 04.11.2025 को जारी किया गया था। विभागीय समिति ने याचिकाकर्ता के मामले की सिफारिश मुख्य विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए की थी, हालांकि 14.11.2025 को याचिकाकर्ता का मामला सीलबंद लिफाफे में रखा गया था। वास्तव में, चूंकि विभागीय समिति की बैठक की तारीख को याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं था, इसलिए न तो कोई आरोप पत्र जारी किया गया था और न ही याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही लंबित थी या विचाराधीन थी। इसलिए सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी चाहिए थी। उक्त विंदु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के के.वी. जानकीरामन (उपरोक्त) और डॉ. (श्रीमती) सुधा सालहान (उपरोक्त) के निर्णय में स्पष्ट हो चुका है। इसके अलावा, दिल्ली जल बोर्ड बनाम महेन्द्र सिंह, (2000) 7 एससीसी 210 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि जहां विभागीय जांच उस समय लंबित थी जब डीपीसी की बैठक हुई और उसने सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया अपनाई, जिसके परिणामस्वरूप दोषमुक्ति हुई, लेकिन उस समय तक एक अन्य विभागीय जांच शुरू हो गई थी, तो बाद वाली विभागीय जांच का लंबित होना संबंधित कर्मचारी को डीपीसी की सिफारिश का लाभ देने में बाधा नहीं माना गया। पैराग्राफ-5 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई:-

“5. विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किए जाने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है, बशर्ते कि व्यक्ति पात्र हो और विचार क्षेत्र में हो। सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया किसी भी लंबित अनुशासनात्मक जांच के परिणाम आने तक उसकी पदोन्नति के प्रश्न को स्थगित रखने की अनुमति देती है। लेकिन अनुशासनात्मक जांच में अधिकारी को दोषमुक्त करने वाले निष्कर्षों का प्रभावी करना होगा क्योंकि वे स्पष्ट रूप से उस तारीख से संबंधित हैं जिस दिन आरोप तय किए गए थे। यदि अनुशासनात्मक जांच उसके पक्ष में समाप्त होती है, तो ऐसा माना जाएगा कि अधिकारी किसी अनुशासनात्मक जांच के अधीन नहीं था। नियमों के अंतर्गत सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया का प्रावधान विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा ऐसे अधिकारी के पक्ष में किए गए किसी भी मूल्यांकन का लाभ देने के लिए किया गया था, यदि वह पदोन्नति के लिए योग्य पाया गया था और बाद में अनुशासनात्मक जांच में उसे दोषमुक्त कर दिया गया था जो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समय लंबित थी। केवल इस तथ्य से कि पहली जांच में अनुशासनात्मक कार्यवाही उसके पक्ष में समाप्त हुई और सीलबंद लिफाफा खोलकर उसे प्रभावी किया गया, एक अन्य विभागीय जांच लंबित हो गई... विभाग द्वारा शुरू की गई जांच, हमारे विचार से, उन्हें पिछली चयन प्रक्रिया में पहली विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उनके पक्ष में किए गए मूल्यांकन का लाभ देने में बाधा नहीं बनेगी। इसलिए, इस मामले को उच्च पीठ के समक्ष भेजने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।”

10. राकेश कुमार गुप्ता (उपरोक्त) मामले में, दिनांक 28.05.1997 के साशनादेश के पैरा-11 के महत्व और प्रभाव पर विचार किया गया था। दिनांक 28.05.1997 की अधिसूचना इस प्रकार है:-

“11. यदि चयन समिति द्वारा किसी कर्मचारी की पदोन्नति के लिए सिफारिश की गई है, लेकिन पदोन्नति आदेश के कार्यान्वयन से पहले, अनुच्छेद-2 में उल्लिखित कोई बात ज्ञात हो जाती है, और यदि चयन के समय वही बात चयन समिति के समक्ष होती, तो चयन समिति की सिफारिश को सीलबंद लिफाफे में रखा जाना आवश्यक होता, तो संबंधित कर्मचारी को पदोन्नत नहीं किया जाएगा और ऐसी

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कार्यवाही के अंतिम परिणाम प्राप्त होने पर, ऐसे कर्मचारियों के संबंध में चयन समिति की सिफारिश को इस अधिसूचना के प्रावधानों के अंतर्गत इस प्रकार लागू किया जाएगा, मानो चयन समिति की सिफारिश को ऐसे कर्मचारियों के संबंध में सीलबंद लिफाफे में रखा गया हो।”

11. दिनांक 28.05.1997 के साशनादेश के पैरा-11 की व्याख्या इस न्यायालय की खंडपीठ ने विशेष अपील संख्या 478 वर्ष 2010 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नंद कुमार सिंह) में की थी, जिसका अनुसरण राकेश कुमार गुप्ता (उपरोक्त) मामले में दिनांक 08.01.2016 को किए गए निर्णय में किया गया था, जो इस प्रकार है:-

2. अपीलकर्ता-राज्य, माननीय एकल न्यायाधीश के उस निर्णय और आदेश से असंतुष्ट है, जिसके द्वारा उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए नियमित चयन के अनुसार प्रत्यर्थी को पुलिस उप अधीक्षक के पद पर पदोन्नत करने का निर्देश दिया है। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 22.08.2009 को हुई और प्रत्यर्थी का चयन किया गया। 02.09.2009 को आरोपपत्र दाखिल किया गया। 3. कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 420, 465, 468, 471, 120-बी, 292 आईपीसी के अंतर्गत प्रथम सूचना आख्या दर्ज की गई और 25.5.1992 के निर्णय और आदेश द्वारा आरोपी कविता माह को दोषी ठहराया गया। यह प्रस्तुत किया गया कि राजनीतिक दबाव के कारण, उन्हीं आरोपों के लिए 12.9.1993 को एक और प्रथम सूचना आख्या दर्ज की गई, जिसमें पुलिस ने 2.9.2009 को आरोपपत्र दाखिल किया। याचिकाकर्ता ने इस निर्णय को चुनौती दी है। राज्य की कार्रवाई राजनीतिक रूप से प्रेरित है। 4. अपीलकर्ताओं ने सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया का पालन करने का अनुरोध किया, यह तर्क देते हुए कि 28.05.1997 की सरकारी अधिसूचना के अनुच्छेद 11 के अनुसार, ऐसे मामले में सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। माननीय एकल न्यायाधीश ने मामले और अनुच्छेद 11 पर विचार करने के बाद यह माना कि ऐसे मामले में सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाएगा, क्योंकि डी.पी.सी. की सुनवाई की तारीख को विवादित आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया था, और तदनुसार, प्रत्यर्थी को पदोन्नत करने का निर्देश दिया।

दिनांक 28.05.1997 की अधिसूचना के अनुच्छेद 11 का सही अनुवाद इस प्रकार है:

“11. यदि चयन समिति द्वारा किसी कर्मचारी की पदोन्नति के लिए सिफारिश की गई है, लेकिन पदोन्नति आदेश के कार्यान्वयन से पहले, पैराग्राफ-2 में उल्लिखित कोई बात ज्ञात हो जाती है, और यदि यह चयन के समय चयन समिति के समक्ष होता है, तो चयन समिति की सिफारिश को सीलबंद लिफाफे में रखना आवश्यक होता, तो संबंधित कर्मचारी को पदोन्नत नहीं किया जाएगा और ऐसी कार्यवाही के अंतिम परिणाम प्राप्त होने पर ऐसे कर्मियों के संबंध में चयन समिति की सिफारिश को इस अधिसूचना के प्रावधानों के अंतर्गत इस प्रकार लागू किया जाएगा, मानो चयन समिति की सिफारिश को ऐसे कर्मियों के संबंध में एक सीलबंद लिफाफे में रखा गया हो।”

5. अधिसूचना के अनुच्छेद-2 में यह बताया गया है कि निम्नलिखित तीन मामलों में सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:-

(i) जब कर्मचारी लंबित हो।

(ii) जब कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित हो, जिसके लिए आरोप पत्र जारी किया गया हो।

(iii) जब कर्मचारी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका हो और वह लंबित हो।

6. अपीलकर्ता-राज्य की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि चयन के बाद और नियुक्ति पत्र जारी होने से पहले भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी को यह जानकारी मिलती है कि संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कोई आरोप पत्र लंबित है, तो उस स्थिति में भी सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या अधिसूचना के अनुच्छेद 11 की यह सही व्याख्या है।

7. हमारी राय में, जब तीन ऐसे मामले स्पष्ट हो जाते हैं जिनमें सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है, तो अनुच्छेद 11 पर उसी संदर्भ में विचार करना होगा, अन्यथा इससे एक और मामला जुड़ जाएगा। अनुच्छेद 2 और 11 को ध्यान में रखते हुए नियमों में सामंजस्य स्थापित करने का एकमात्र तरीका यह है कि यदि डी.पी.सी. की तिथि पर आरोप पत्र मौजूद था और नियुक्ति पत्र जारी करने के समय भी चयन समिति को इसकी जानकारी नहीं थी, तो सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है। हमारी राय में, यह दोनों नियमों का उचित और सामंजस्यपूर्ण अर्थ होगा।

8. हम इस अपील में कोई गुण नहीं प्राप्त करते। इसलिए, यह अपील खारिज की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।”

12. उपर्युक्त निर्णय में प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों को वर्तमान मामले में लागू करने पर यह अकाट्य निष्कर्ष निकलता है कि जब विभागीय कार्यवाही समिति की बैठक की तिथि पर कोई विभागीय कार्यवाही न तो विचाराधीन थी और न ही लंबित थी, तो सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती। तदनुसार, प्रत्यर्थियों द्वारा अपनाई गई सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया विधि की दृष्टि से वैध नहीं मानी जा सकती।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



13. तदनुसार, प्रत्यर्थियों को सीलबंद लिफाफा खोलने और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा 24.10.2025 को गठित बैठक की सिफारिश के अनुसार छह सप्ताह के भीतर मुख्य विकास अधिकारी या उसके समकक्ष किसी पद पर नियुक्ति हेतु याचिकाकर्ता के पदोन्नति के मामले पर विचार करने का निर्देश देते हुए एक परमादेश जारी किया जाता है।

14. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित बताई जा रही अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करना प्रत्यर्थियों के लिए हमेशा खुला रहता है।

15. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

2 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"